BIHAR
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010
दूरभाष नं0–0612-2261250/2262265, फैक्स–0612-2261050
ई–मेल–bspcb@yahoo.com, वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in

पत्रांक पी.सी.-105/प्रेस विज्ञप्ति/2019/ 473 दिनांक 03-05-2019

प्रेस विज्ञप्ति

विकाशील राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास समय की मांग है। परन्तु ऐसी संरचनाओं के त्वरित विकास के दौरान पर्यावरणीय हितों की अनदेखी से परिवेशीय वायु गुणवत्ता (विशेषकर शहरों की) का ह्रास होता है जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।

उपरोक्त मुद्दे पर राज्य की निर्माण एजेन्सियों/संबंधित विभागों को पर्षद् पत्रांक बी–2191 दिनांक 27.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेशित किया गया है कि उनके कार्यालय से निबंधित संवेदकों द्वारा अपने क्रियाकलापों के दौरान जनित होने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का स्थानीय निकाय के परामर्श से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से युक्ति संगत तथा इस संबंध में अधिसूचित नियमावली ''निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016'' के उपबंधो के अनुरूप प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए तथा ऐसे निबंधित संवेदकों की सूची एवं अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित स्थानीय निकाय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायी जाय।

पत्र के साथ राज्य पर्षद् द्वारा निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु तैयार किये गये *'सामान्य निर्देश'– क्या करें – क्या न करे''* की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि इसके अनुपालन हेतु सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे।(छायाप्रति संलग्न)।

राज्य पर्षद् द्वारा जारी सामान्य निर्देश की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:–

क्या करें:–

1. निर्माण/ विध्वंस/मरम्मती के दौरान जनित धूलकणों के नियंत्रण हेतु निकटवर्ती इलाकों की स्थिति के अनुसार परियोजना परिसर के बाहरी घेरे को समुचित रूप से ढ़ंकना सुनिश्चित किया जाये। निर्माण/विध्वंस/मरम्मती किये जा रहे भवनों को समीपवर्ती क्षेत्र की प्रकृति (आवासीय क्षेत्र/अस्पताल/शैक्षणिक सस्थान) के अनुसार उपयुक्त कवर यथा तिरपाल/मेश द्वारा समुचित रूप से ढ़क कर निर्माण/विध्वंस कार्य किये जायें।
2. परिवेशीय वायु में धूलकणों से जनित प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जल छिड़काव सुनिश्चित किया जाय।
3. निर्माण एवं विध्वंस सामग्रियों/अपशिष्टों का परिवहन बंद वाहनों के द्वारा ही किया जाय।

4. निर्माण/ विध्वंस के दौरान यह सुनिश्चित किया जाय कि परिवेशीय वायु में ध्वनि स्तर, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिये निर्धारित मानकों के अनुरुप हों।

5. निर्माण अथवा विध्वंस परियोजना/कार्य के संचालकों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी सुरक्षा के उद्देश्य से कार्य स्थल पर होर्डिंग/बोर्ड/ डिस्प्ले अथवा अन्य माध्यमों की सहायता से स्थानीय आम जनता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

क्या न करे:–

1. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों को सड़कों के किनारे अथवा यत्र-तत्र किसी अनधिकृत स्थल पर नहीं फेंका जाय जिससे यातायात बाधित हो अथवा जन सामान्य को कठिनाई हो।

2. सभी हितधारकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अथवा अन्य कोई अपशिष्ट नालियों अथवा किसी अन्य जल निकायों यथा नदी, तालाब, झील आदि में प्रवाहित नहीं किया जाय।

3. अत्यधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संयंत्रों का उपयोग आवासीय परिसर अथवा 'शांत क्षेत्रों' में नहीं किया जाय।

4. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्लास्टिक अपशिष्ट, पैकेजिंग सामग्री, लकड़ियाँ या किसी भी प्रकार के अन्य अपशिष्टों को जलाया नहीं जाय।

इस आशय का पत्र राज्य पर्षद् द्वारा राज्य के सभी नगर निकाय/नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को पर्षद् पत्रांक 332 दिनांक 28.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित करते हुए नियमावली में दिये गये दायित्वों के निर्वहन हेतु उन्हें सुझाये गये विभिन्न उपायों, जो 9 बिन्दुओं का है, के कार्यान्यवन की अपेक्षा की गयी है।

प्रत्र की प्रति प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के प्रधान सचिव को भी दी गयी है।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

वीरेन्द्र कुमार
03.05.2019
(वीरेन्द्र कुमार)
जन-सम्पर्क पदाधिकारी

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, सदाकत आश्रम, पटना–800 010
दूरभाष नं० 0612-2261250/2262265, फैक्स–0612-2261050, ई–मेल–bspcb@yahoo.com, वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in.

पत्रांक- B-2591 पटना, दिनांक:- 22-4-19

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.,

सदस्य–सचिव.

सेवा में,

सूची के अनुसार

विषय:-निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलाप के दौरान प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक सामान्य निर्देश।

प्रसंग:- मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-26.03.2019 को पटना शहर से अतिक्रमण हटाने एवं प्रदूषण निरोधक कार्रवाई के संबंध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं के त्वरित विकास में पर्यावरण हितों का ख्याल नहीं रखने के कारण विशेषकर शहरों की परिवेशीय वायु गुणवत्ता का ह्रास हुआ है, जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण धूलकण है, जो अधिकतर निर्माण परियोजनाओं के ढ़क कर कार्य नहीं किये जाने के कारण एवं अन्य उपायों का पालन नहीं करने कारण उत्सर्जित होते हैं। ज्ञातव्य है कि निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मति एवं विध्वंस के दौरान जनित अपशिष्टों के उचित उपचार एवं निपटान हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अधिसूचित है। इस नियमावली के तहत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु अपशिष्ट उत्पन्नकर्त्ता, स्थानीय निकायों तथा सेवा प्रदाता और उनके संवेदकों के कर्त्तव्य उल्लिखित किये गये हैं।

अनुरोध है कि आपके कार्यालय से निबंधित संवेदको द्वारा अपने क्रियाकलापों के दौरान जनित होने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का स्थानीय निकाय के परामर्श से इसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण से युक्ति संगत तथा अधिसूचित नियमावली के उपबंधों के अनुरूप प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय तथा ऐसे निबंधित संवेदकों की सूची एवं अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित स्थानीय निकाय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायी जाए।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2019 को पटना शहर से अतिक्रमण हटाने, शहर की यातायात सुदृढ़ करने तथा प्रदूषण निरोधक कार्रवाई के संबंध में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवश्यक सामान्य निर्देश तैयार किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। अनुरोध है कि इसके अनुपालन हेतु भी सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

22/4/19

अनु0: यथोपरि।

(आलोक कुमार)

सदस्य सचिव.

1)	प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल्ला, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना-800 004
2)	बिहार राज्य आवास बोर्ड, 6, सरदार पटेल मार्ग, पटना-800 015.
3)	बिहार चिकित्सा सेवा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पांचवी तल, विस्कोमान भवन, गांधी मैदान, पटना-800 001
4)	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, दूसरा तल, खाद्यय भवन, रोड नं0-2, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर. ब्लॉक, पटना-800 001
5)	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, हॉस्पीटल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-800 023
6)	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, आर.सी.डी. मेक. वर्कशॉप कैम्पस, शेखपुरा, पटना-800 014
7)	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, 7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-800 015
8)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना
9)	अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, तकनीकी भवन, विश्वैशरिया भवन, बेली रोड, पटना-800 015
10)	मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, जी.पी.ओ. गोलम्बर, पटना